**घटना** | रीवा से जबलपुर आ रही इंटरसिटी एक्सप्रेस की घटना

# चलती ट्रेन से उतरते युवक के कटे दोनों पैर

**जबलपुर, नवभारत।** जबलपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार को रीवा से जबलपुर आ रही इंटरसिटी एक्सप्रेस से उतरते समय एक बड़ा हादसा हो गया। शहडोल के रहने वाले 30 वर्षीय युवक हरिओम, पिता रविशंकर, गाड़ी संख्या 22190 रीवा-जबलपुर इंटरसिटी ट्रेन से यात्रा कर जबलपुर पहुंचे थे। सुबह लगभग 11 बजे के आसपास जब ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 3 पर आकर रुकी, तब युवक नीचे उतरने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सीधे पटरियों की तरफ चला गया।

इस भीषण दुर्घटना में युवक के पैर कट गए। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद रेलवे पुलिस के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को संभाला और गंभीर रूप से घायल युवक को एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया।

### जल्दबाज़ी पड़ी भारी

सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार रीवा इंटरसिटी जैसे ही अपने निर्धारित समय पर मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर आकर खड़ी हुई, यात्रियों में उतरने की जल्दबाजी दिखने लगी। हरिओम भी अपना सामान लेकर कोच के दरवाजे तक पहुंचे और नीचे पैर रखा। अचानक संतुलन बिगड़ने से उनका पैर पायदान से फिसल गया और वह सीधे नीचे गिर गए। ट्रेन की गति और भारी लोहे के पहियों की चपेट में आने से उनके पैर पूरी तरह कट गए। स्टेशन पर मौजूद अन्य यात्रियों ने जब यह भयावह दृश्य देखा तो वहां अफरा-तफरी मच गई और लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे। वही हादसे की आवाज सुनते ही प्लेटफार्म पर गश्त कर रही रेलवे पुलिस की टीम तुरंत मौके पर दौड़ पड़ी। पुलिसकर्मियों ने बिना वक्त गंवाए खून से लथपथ तड़प रहे युवक को पटरियों के पास से बाहर निकाला।

### तुरंत दिया गया प्राथमिक उपचार

बता दे कि हादसे के बाद आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने तुरंत स्टेशन प्रबंधन को सूचित किया और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था में जुट गए। पुलिस की सक्रियता के कारण घायल युवक को स्टेशन परिसर के भीतर ही जरूरी शुरुआती मदद मिल सकी, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए रेलवे पुलिस ने बिना कोई समय गंवाए 108 एंबुलेंस सेवा को फोन किया। स्टेशन के बाहर एंबुलेंस को पहले से तैयार खड़ा रखा गया था। जवानों ने घायल हरिओम को स्ट्रेचर पर लिटाया और सावधानीपूर्वक प्लेटफार्म से बाहर लाकर एंबुलेंस में शिफ्ट किया। इसके बाद उन्हें शहर के बड़े शासकीय चिकित्सालय के लिए रवाना किया गया।

## एमएससी की परीक्षा में शामिल होने मिली स्थाई जमानत

**जबलपुर।** पास्को एक्ट में सजा से दंडित आरोपी ने एमएससी की परीक्षा में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन पेश किया था। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक जैन तथा जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की युगलपीठ ने आवेदक को परीक्षा में शामिल होने के लिए 15 दिनों की अस्थाई जमानत प्रदान की है। रीवा निवासी संजू कुशवाहा को जिला न्यायालय ने पास्को एक्ट के तहत सजा से दंडित किया था। सजा के खिलाफ आवेदक ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अपील की सुनवाई के दौरान आवेदन पेश किया गया कि वह एमएससी केमिस्ट्री के चौथे सेमेस्टर का छात्र है। उसकी परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। परीक्षा में शामिल होने के लिए उसे अस्थाई जमानत पर रिहा किया जाये। आवेदन की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने आवेदक को परीक्षा का एडमिट कार्ड पेश करने के निर्देश जारी किए थे। आवेदक के द्वारा परीक्षा का एडमिट कार्ड पेश करने पर युगलपीठ ने उसे 15 दिनों की अस्थाई जमानत प्राप्त की है। युगलपीठ ने अपने आदेश में अपीलकर्ता को निर्देश दिये है कि निर्धारित समय अवधि के बाद न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करे।

# सात साल की बच्ची की इच्छा सर्वोपरि हाईकोर्ट ने मां को सौंपी कस्टडी

### पिता को भी बात करने की दी इजाजत

**जबलपुर।** मप्र हाईकोर्ट ने सात वर्षीय अबोध बच्ची की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए उसे उसकी मां की कस्टडी में सौंप दिया। जस्टिस प्रणय वर्मा व जस्टिस जेके पिल्लई की युगलपीठ के समक्ष मासूम बच्ची ने कहा कि वह अपनी मां के साथ रहना चाहती है। पिता के साथ नहीं जाना चाहती। बच्ची के बयान को आधार बनाते हुए न्यायालय ने उसे मां के सुपुर्द करने के निर्देश दिये है।

दरअसल जबलपुर निवासी प्रियंका ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर कहा था कि उसके पति नरेन्द्र 27 मई 2026 को बेटी निशि को दादी से मिलाने के बहाने अपने साथ नर्मदापुरम ले गये, लेकिन उसे वापस नहीं भेजा। जबकि जन्म से ही बच्ची उसकी देखरेख में रह रही है और पिता द्वारा उसे जबरन अपने पास रखना गैरकानूनी है। सुनवाई के दौरान पिता नरेन्द्र ने न्यायालय को बताया कि निशि अपनी दादी से मिलना चाहती थी, इसलिए वह उसे अपने साथ ले गया, हकीकत जानने के लिए न्यायालय ने बच्ची को पेश करने के निर्देश दिए। कोर्ट में प्रस्तुत की गई बच्ची ने कहा पापा मुझे दादी से मिलाने ले गए थे, लेकिन मुझे उनके साथ नहीं रहना मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। बच्ची की साफगोई के बाद न्यायालय ने कहा कि भले ही पिता का उद्देश्य गलत न रहा हो, लेकिन बच्ची को उसकी मां से अलग रखकर अपने पास रखना कानूनी रूप से उचित नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने बच्ची की कस्टडी तत्काल उसकी मां प्रियंका को सौंपने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि जब भी पिता अपनी बेटी से बात करना चाहें तो मां को फोन या अन्य माध्यमों से बातचीत करानी पड़ेगी।

### पूर्व विधायक शशांक भार्गव की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई टली

मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस देवनारायण मिश्र की एकलपीठ ने जनप्रतिनिधि से जुड़ा मामला होने के कारण पूर्व विधायक शशांक भार्गव के मामले की सुनवाई मुलतवीं कर दी। मामले को उपयुक्त बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने की व्यवस्था देते हुए अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है।

दरअसल मामला आत्महत्या दुष्प्रेरण के आरोप से संबंधित है। जिला अदालत व हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से राहत न मिलने के बाद मामला जबलपुर मुख्यपीठ पहुंचा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि विदिशा भोपाल संभाग में आता है। यह मामला 27 अप्रैल 2026 को विदिशा के बेहलट गांव के निवासी गोविंद सिंह गुर्जर का शव रेलवे ट्रेक पर मिलने से संबंधित है। मरने से पूर्व गुर्जर ने एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें पूर्व विधायक भार्गव पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने भार्गव ने यह अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की है।

# वरिष्ठ अधिवक्ता अमित लाहोटी बनेंगे न्यायाधीश

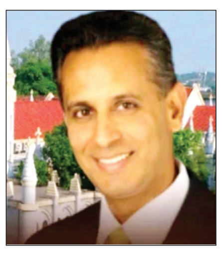

**जबलपुर, नवभारत।** मप्र उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के वरिष्ठ अधिवक्ता के पद से प्रमोट होकर अमित लाहोटी अब मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के नए जज होंगे। बता दे कि उच्चतम न्यायालय की कालेजियम ने उनकी रिकमेंडेशन की है। मिली जानकारी के अनुसार 2 जून, मंगलवार को कालेजियम से अनुशंसा की गई है जिसके बाद जल्द ही उन्हें उच्च न्यायालय में नई जिम्मेदारी मिलेगी। बता दें कि अमित लाहोटी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में पूर्व एक्टिंग चीफ जस्टिस केके लाहोटी के बेटे हैं। वही सुप्रीम कोर्ट की कालेजियम की अनुशंसा के बाद प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्र से मंजूरी और राष्ट्रपति कार्यालय से अधिसूचना जारी होने के बाद उनकी नियुक्ति प्रभावी मानी जाएगी। इसके साथ ही, शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित होगा। फिलहाल एसीजे विवेक रुसिया कार्यभार संभाल रहे हैं।

### सिविल मामलों की करते रहे हैं पैरवी

फिलहाल वरिष्ठ अधिवक्ता अमित लाहोटी ग्वालियर में सिविल, संवैधानिक और विविध रिट याचिकाओं से जुड़े जटिल मामलों की पैरवी करते रहे हैं। इसके साथ ही मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए 53 है जिसमें से वर्तमान में 40 न्यायाधीश कार्यरत हैं।

# प्रदेश की 84 हज़ार आशाओं में आई निराशा, जबलपुर में भी आशा-उषा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

**नवभारत, जबलपुर।** प्रदेशभर में आशा,ऊषा एवं आशा पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं ने प्रोत्साहन राशि में कथित कटौती, लंबित भुगतान और मानदेय में अनियमितताओं के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया।

प्रदेश व्यापी प्रदर्शन का असर जबलपुर में भी देखने मिला जंहा जिले की सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आशा, ऊषा एवं आशा पर्यवेक्षक एकता यूनियन मध्यप्रदेश सीटू के बैनर तले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए समयबद्ध भुगतान और कटौती पर रोक लगाए जाने की मांग की है। संगठन के आक्रोशित सदस्यों का कहना है कि प्रदेश की 84 हजार से अधिक आशा ,उषा,पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं में सरकार और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर गहरी नाराजगी और निराशा है।

जबलपुर में आशा, ऊषा एवं आशा पर्यवेक्षक एकता यूनियन की प्रदेश महासचिव पूजा कन्नौजिया के मार्गदर्शन में किए प्रदर्शन में जिले भर की सैकड़ों आक्रोशित सदस्यों ने हाथों में बैनर तख्ती लेकर प्रदर्शन किया । घंटाघर से पैदल प्रदर्शन करती हुई जिलाध्यक्ष कार्यालय पहुंची आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने प्रोत्साहन राशि भुगतान में कथित अनियमितताओं, अवैध कटौती तथा भुगतान में हो रही देरी को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

यूनियन ने मांग की है कि प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिना किसी कटौती के मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

ज्ञापन में कहा गया है कि

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आशा एवं आशा पर्यवेक्षक स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, लेकिन लंबे समय से उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कई जिलों में तीन से चार माह तक भुगतान लंबित रहता है, जबकि अनेक मामलों में प्रोत्साहन राशि में कटौती कर अपूर्ण भुगतान किया जा रहा है।

यूनियन ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा भुगतान संबंधी स्पष्ट जानकारी भी नहीं दी जाती और न ही बकाया राशि का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाता है। इससे प्रदेशभर की आशा कार्यकर्ताओं में व्यापक असंतोष व्याप्त है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई स्थानों पर आशाओं से गैर-विभागीय कार्य कराए जा रहे हैं तथा आयुष्मान कार्ड निर्माण जैसे कार्यों में उन्हें निजी खर्च भी वहन करना पड़ रहा है ।संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि समयबद्ध भुगतान, अवैध कटौती पर रोक और लंबित राशि के निराकरण के लिए शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए गए तो शीघ्र ही प्रदेशव्यापी आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। यूनियन ने आशा, ऊषाएवं आशा पर्यवेक्षकों के हितों की रक्षा के लिए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर उन्हें राहत दिलाए जाने की मांग की है।

### जिले में 17सौ कार्यकर्ता हैं कार्यरत

यूनियन के सदस्यों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में 84 हज़ार कार्यकर्ता सरकार के जनकल्याण कारी कार्यक्रमों और योजनाओं के संचालन और क्रियान्वयन में सुव्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।

### इनका कहना है

प्रोत्साहन राशि भुगतान में कटौती एवं विभिन्न अनियमितताओं के खिलाफ प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है ।सरकार द्वारा शीघ्र ही उनकी मांगो पर ध्यान नही दिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा

**पूजा कन्नौजिया**
**प्रदेश महासचिव**
**आशा, ऊषा आशा**
**पर्यवेक्षक एकता यूनियन**
**मध्यप्रदेश**

# नेरोली सैलून से हटवाया गया क्लिनिक शब्द

### भ्रामक प्रचार पर स्वास्थ्य विभाग की सख्ती

**नवभारत,जबलपुर।** आमजन को भ्रमित करने वाले भ्रामक प्रचार और बिना वैधानिक अनुमति चिकित्सा संस्थान का स्वरूप प्रदर्शित करने वाले प्रतिष्ठानों पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में डर्मेटोलॉजी संगठन से प्राप्त शिकायत के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गठित निरीक्षण दल ने नेपियर टाउन चौथा पुल स्थित नेरोली सैलून एंड क्लिनिक का निरीक्षण किया।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि संस्था के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लेजर एवं अन्य इन्वेंसिव तकनीकों से त्वचा उपचार संबंधी वीडियो और प्रचार सामग्री प्रसारित की जा रही है, जिससे लोगों में यह धारणा बन रही थी कि वहां विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध हैं। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रतिष्ठान में केवल सैलून संबंधी गतिविधियां संचालित की जा रही थीं,जबकि अनधिकृत रूप से क्लिनिक शब्द का उपयोग किया जा रहा था। जांच के समय वहां कोई त्वचा रोग विशेषज्ञ (डर्मेटोलॉजिस्ट) अथवा अन्य पंजीकृत चिकित्सा विशेषज्ञ कार्यरत नहीं मिला। निरीक्षण दल में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विनिता उप्पल तथा नर्सिंग होम शाखा के नोडल अधिकारी डॉ. आदर्श विश्नोई शामिल थे।

जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान के नाम एवं बाहरी साइन बोर्ड से क्लिनिक शब्द हटवा दिया। साथ ही संचालक को बिना वैधानिक अनुमति एवं पंजीयन के क्लिनिक हॉस्पिटलअथवा अन्य चिकित्सा संस्थान सूचक शब्दों का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए गए।

### बिना पंजीयन के अस्पताल का रूप नहीं दिया जा सकता

संस्था संचालक ने लिखित रूप से स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर प्रदर्शित वीडियो उनकी संस्था के नहीं थे, बल्कि अन्य संस्थाओं के वीडियो उनके द्वारा अपलोड किए गए थे। उन्होंने अपनी त्रुटि स्वीकार करते हुए लिखित क्षमायाचना प्रस्तुत की और भविष्य में ऐसी गतिविधियों की पुनरावृत्ति नहीं करने का आश्वासन दिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बिना विधिवत पंजीयन एवं अनुमति के कोई भी संस्था स्वयं को क्लिनिक, अस्पताल या चिकित्सा संस्थान के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकती। ऐसे मामलों में संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध मध्य प्रदेश उपचारगृह एवं रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (पंजीकरण एवं अनुज्ञापन) नियम, 1971 तथा अन्य प्रचलित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित प्रतिष्ठान को सील करने जैसी कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है।

# बादलों ने डेरा डाला, हवाओं के साथ रिमझिम बारिश, बिजली गुल

**नवभारत, जबलपुर।** शहर में मौसम ने अचानक करवट बदली है, जहाँ सुबह से ही धूप खिली रही तो वही दिन में आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल लिया है और ठंडी हवाओं के साथ रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस खुशनुमा बदलाव से पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी और उमस से बेहाल लोगों को बड़ी राहत मिली है। तेज हवाओं के कारण शहर के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई है। थोड़ी देर बाद बारिश रूक गई इसके बाद बिजली सप्लाई भी चालू कर दी गई । हालांकि हवाओं ने वातावरण में ठंडक घोल दी है। साथ ही कई दिनों से पड़ रही चिपचिपी गर्मी से भी परेशान नागरिकों ने राहत मिली है।

मौसम विभाग की माने तो दक्षिण-पश्चिम मानसून के 4 जून के आसपास दक्षिण-पश्चिम एवं दक्षिण-पूर्व अरब सागर के कुछ और भागों, लक्षद्वीप द्वीपसमूह, केरल एवं तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-मध्य, पूर्व-मध्य एवं उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों तथा दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के शेष क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं आसपास के क्षेत्र पर स्थित पश्चिमी विक्षोभ, जो चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं आसपास के क्षेत्रों पर स्थित में माध्य समुद्र तल से 1.5 से 5.8 किमी की ऊँचाई तक विस्तृत है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पाकिस्तान एवं आसपास के क्षेत्रों पर औसत समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊँचाई पर एक चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में सक्रिय है।

### ऐसा रहा तापमान

बुधवार को अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा ।न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा । सुबह के वक्त आद्रता 48 और शाम को 40 प्रतिशत दर्ज की गई । पशिचमी हवाएं 4`से 5 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चली।

# एक माह में 980 वाहनों पर शिकंजा, 53 .45 लाख के चालान बने

### अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग, दस्तावेजहीन वाहनों पर उड़नदस्ता की कार्रवाई

**जबलपुर।** संभागीय उड़नदस्ता ने मई माह में 980 वाहनों पर शिकंजा कसते हुए कार्यवाही की बल्कि 53.45 लाख रुपये के चालान भी काटे। अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग और दस्तावेजहीन वाहनों के खिलाफ मई माह में सघन अभियान चला ।

जानकारी के अनुसार परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश उमेश जोगा के निर्देश पर आरटीओ संभागीय उड़नदस्ता प्रभारी विक्रम सिंह ठाकुर के नेतृत्व में जबलपुर उड़नदस्ता टीम द्वारा मई माह के दौरान अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग, बिना वैध दस्तावेजों के माल परिवहन व मोटरयान अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के विरुद्ध सघन जांच कर कार्रवाई की। इस दौरान माल परिवहन में कुल 980 वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई, जिसके तहत 53 लाख 45 हजार रुपये की राजस्व वसूली के लिए चालान बनाए गए। कार्रवाई के दौरान बिना वैध परमिट, फिटनेस, बीमा, कर भुगतान एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के संचालित पाए गए वाहनों पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की गई। संभागीय उड़नदस्ता प्रभारी विक्रम सिंह ठाकुर ने वाहन स्वामियों एवं संचालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखें एवं निर्धारित नियमों एवं भार सीमा का पालन करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

# परिजनों की डांट सुनकर घर से भागा बालक मदन महल में मिला

**जबलपुर, नवभारत।** मदन महल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को जांच के दौरान प्लेटफार्म नंबर 4 पर एक 9 वर्षीय बालक गुमशुम हालत में बैठा मिला जिससे जीआरपी कर्मियों ने पूछताछ की तो उसने बताया कि घर वालों ने डांटा था, जिससे वह गुस्से में चला आया। जिस पर रेल पुलिस ने बालक के परिजनों को सूचित करते हुए उन्हें बच्चे को सुपुर्द किया। जीआरपी के मुताबिक 3 जून बुधवार को स्टेशन चैकिंग के दौरान प्लेटफार्म नं. 04 पर एक भटका हुआ बालक विन्स कान्वेंट स्कूल महाराजपुर, जबलपुर निवासी मिला, जो घर वालों की डांट से नाराज होकर गुस्से में घर में बिना बताये भटकर रेलवे स्टेशन मदनमहल आ गया था, जिसके परिजनों को सूचना दी गई जो भटके हुये बालक के चाचा राजू विश्वकर्मा पिता स्व. रामखिलावन विश्वकर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी गौमाता चौक पंकज पैलेश होटल राईट टाउन जबलपुर थाना मदनमहल जिला जबलपुर चौकी उपस्थित आये, जो उक्त बालक को उसके चाचा राजू विश्वकर्मा के सुपुर्द किया गया।

### इनकी रही विशेष भूमिका

उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक रेल जबलपुर सुन्दर सिंह कनेश के मार्गदर्शन में आपरेशन मुस्कान के अंतर्गत की गई उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी संजीवनी राजपूत, चौकी प्रभारी सउनि जे.एस. धुर्वे, रत्नेश यादव विमलेश ठाकुर, अंजली राजपूत काजल सिंह, शकुन्तला तेकाम की सराहनीय भूमिका रही।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57